न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 47/2023 G.C.M.S. No. 2023/290 दर्ज दिनांक : 18.09.2023

अपीलार्थी:

1. जसोदा कंवर बेवा नरपतसिंह, उम्र 77 साल, जाति राजपूत, निवासी धामसीन, तहसील रानीवाड़ा व जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण:

1. डूंगरसिंह पुत्र गंगासिंह, उम्र 38 साल, जातियान राजपूत, निवासीगण धामसीन, तहसील रानीवाड़ा व जिला जालोर।
2. भोरसिंह पुत्र परबतसिंह फौत के का.मु.–
   2/1 कैलाशकंवर पुत्री शेरसिंह, उम्र 52 साल
   2/2 मदनकंवर पुत्री शेरसिंह, उम्र 45 साल
   2/3 मनोज कंवर पुत्री शेरसिंह, उम्र 39 साल
   2/4 कनक कंवर पुत्री शेरसिंह, उम्र 34 साल
   2/5 कंचन कंवर पुत्री शेरसिंह, उम्र 29 साल
3. जयसिंह पुत्र पबसिंह फौत के का.मु.–
   3/1 उम्मेदसिंह पुत्र जयसिंह
   3/2 भानसिंह पुत्र जयसिंह, जाति राजपूत, निवासी धामसीन, तहसील रानीवाड़ा व जिला जालोर।
   3/3 प्रकाश कंवर पुत्री जयसिंह पत्नि पदमसिंह, जाति राजपूत निवासी नरसाणा, तहसील व जिला जालोर।
   3/4 पसम कंवर पुत्री जयसिंह, पत्नि गजेसिंह, जाति राजपूत, निवासी तिलवाड़ा, तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर।
   3/5 मंजू कंवर पुत्री जयसिंह पत्नि हनुमानसिंह, जाति राजपूत, निवासी तिलोड़ा, तहसील सायला व जिला जालोर।
4. अवसर कंवर पत्नि दीपसिंह
5. खेतसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह फौत के का.मु.–
   5/1 लास कंवर पत्नि खेतसिंह
   5/2 चंदसिंह पुत्र खेतसिंह
   5/3 गुलाबकंवर पत्नि स्व. धर्मसिंह पुत्र स्व. खेतसिंह
   5/4 गजेन्द्रसिंह पुत्र धर्मसिंह
   5/5 राजूसिंह पुत्र धर्मसिंह, जाति राजपूत, निवासी धामसीन, तहसील रानीवाड़ा।
6. मालाराम पुत्र वीराराम
7. दीपाराम पुत्र वीराराम
8. हेमाराम पुत्र वीराराम
9. रमीलादेवी पत्नि हेमाराम, जातियान मेघवाल, निवासीगण धामसीन, तहसील रानीवाड़ा व जिला जालोर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रानीवाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 69/2001 बअनवान जसोदाकंवर बनाम डूंगरसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.08.2023

पैरोकार—

1. श्री मधुसूदन व्यास, श्री सुदर्शन व्यास, पल्लवी व्यास, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री जगदीश गोदारा, श्री पारसमल बराड़ा, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट्स।

निर्णय

दिनांक: 30.04.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रानीवाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 69/2001 बअनवान जसोदाकंवर बनाम डूंगरसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.08.2023 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है—

यह कि हस्तगत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा एक वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा धामसीन तहसील रानीवाड़ा जिला जालोर में खसरा नम्बर 267 रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा भूमि में विक्रम संवत 2009 में जोर सिंह, पब सिंह, खेत सिंह पीसरान लक्ष्मण सिंह 1/3 हिस्सा तथा मोती सिंह पुत्र सोहन सिंह 2/3 दर्ज था। पास में एक खसरा नम्बर 267 मीन भी अभिलेख में दर्ज किया गया और इसका रकबा 16 बीघा 6 बिस्वा था। यह हिस्सा जोर सिंह, पब सिंह तथा खेत सिंह पीसरान लक्ष्मण सिंह का था, परन्तु उस समय भी इनका कब्जा नहीं होने से इनके काश्तकार पूंजा, भूरा पीसरान वेला कलबी का नाम दर्ज हो गया। इस प्रकार खसरा नम्बर 267 रकबा 32 बीघा 14 बिस्वा में प्रतिवादीगण का हक अधिकार नहीं होने से परन्तु अभिलेख में उनका नाम दर्ज होने के कारण उनके विरूद्ध यह वाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा का तथा स्थायी निषेधाज्ञा का वादीया अपीलान्ट ने प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जोकि विधिविरूद्ध है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय ने वाद का जवाब प्रस्तुत होने पर कुल 5 तनकीयात कायम की। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि व तथ्यों के विपरीत निर्णय किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि वादीया अर्थात अपीलान्ट द्वारा अपने वाद में साक्ष्य में बटवारा होना और प्रतिवादी द्वारा भूमि का बेचान किया जाना साबित नहीं किया है। इस विषय में शेर सिंह प्रतिवादी की साक्ष्य में अंकित तथ्य की बेचान नहीं करने की बात गलत है और खेत सिंह की साक्ष्य में आये तथ्य की प्रथम सेटलमेन्ट में इस जमीन में हमारे हिस्से में पूंजा, भूरा पीसरान वेला का नाम दर्ज हुआ था। इसका जिस विधिक परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया जाना था। वह विवेचन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

गया है। नायब तहसीलदार द्वारा तथा अन्य दो मौका रिपोर्ट द्वारा देखे गये मौके में भी यह बात प्रमाणित होती है कि मौके पर कब्जा वादीया अपीलान्ट का है। प्रकरण में जिस गिरदावरी स्लीप 2013 तथा 2016 का विवरण किया जा रहा है, उस समय एक तथ्य जो विधि है ध्यान में रखना होगा कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होते समय विवादित भूमि पर किसका कब्जा था। वह काश्तकार था। इस विवादित भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आते समय विवादित भूमि पर वादीया का एवं वादीया से पूर्व वादीया के पूर्व पुरुष का कब्जा था। यह कब्जा बतौर खुद काश्त था। इस कारण वादीया विधि के प्रावधान अनुसार खातेदार हो चुकी थीं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम दिनांक 14.10.1955 अर्थात विक्रम सवंत 2012 के आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और चतुर्दशी के मध्य लागू हुआ है। इस दिनांक को वादीया के पूर्व पुरूष भीख सिंह का कब्जा काश्त बतौर खुद काश्त साबित था। इस कारण वादीया खातेदारी अधिकार विधि के प्रावधान के तहत स्वयंमेव प्राप्त कर लेती हैं। इस आशय की घोषणा अधीनस्थ न्यायालय को करनी चाहिए थीं। जो नहीं करके अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों तथा विधि की भूल की हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है-

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र एवं प्रतिवादीगण द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन बाबत प्रतिवादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 03.08.2023 द्वारा खारिज किया गया। जिसके विरूद्ध वादिया अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई हैं।
2. अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में 5 विवाद्यक कायम किए गए तथा विवाद्यकवार निर्णय के साथ अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। अतः प्रकरण में विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है:-
   1. विवाद्यक संख्या 1 – आया वादग्रस्त खेत खसरा संख्या 625 रकबा 4.90 हैक्टेयर वाके मौजा धामसीन की संपूर्ण भूमि की खातेदारी की डिक्री वादिया पाने की अधिकारी है ? ....जिम्मे वादिया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

यह विवाद्यक वादिया के जिम्मे रखा गया। वादिया द्वारा वस्तुतः वादग्रस्त आराजीयात पर संवत 2010 से ही निरंतर वादिया एवं वादिया के पूर्वाधिकारियों का कब्जा काश्त होने तथा प्रतिवादीगण का नाम वादग्रस्त आराजीयात में गलत रूप से दर्ज कर देने तथा प्रतिवादीगण का कोई अधिकार व हक निहित नहीं होने व कभी भी कब्जा काश्त नहीं होने एवं भूप्रबंध पूर्व से वादिया के पूर्वाधिकारियों के खातेदारी अधिकार निहित होने के आधार पर वादिया द्वारा प्रतिवादीगण का नाम विलोपित करवाने एवं बहक वादीगण खातेदारी अधिकारों की घोषणा का मुख्य अनुतोष चाहा गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादिया द्वारा वस्तुतः संवत 2012 भू–प्रबंध कार्यवाहीके दौरान वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण की बतौर खातेदार दर्ज प्रविष्टियों को प्रश्नगत किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य का विवेचन करते हुए केवल इस आधार पर उक्त विवाद्यक वादिया के विरूद्ध निर्णित किया गया कि खतौनी बंदोबस्त से ही प्रतिवादीगण व इनके पूर्वजों का नाम 1/3 हिस्से में दर्ज है। लेकिन प्रकरण में अपेक्षित प्रतिवादीगण की खतौनी बंदोबस्त में दर्ज उक्त प्रविष्टियों को ही वादिया द्वारा प्रश्नगत किया गया था। जिसके संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा कोई विवेचन व निर्णयन नहीं कर कानूनन भूल की है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध भू.अ.नि व हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 09.06.2004 अनुसार वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जाकाश्त वादिया का होना तथा वादिया का आवासीय मकान, बेरा, विद्युत कनेक्शन जिससे वादग्रस्त आराजी पर सिंचाई व काश्त किया जाना अंकित है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त कृत्य के संबंध में अपीलाधीन निर्णय में कोई विवेचन नहीं कर इस पर गौर नहीं किया है। इसी प्रकार प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से नियुक्त मौका कमिश्नर द्वारा उभयपक्षकारान की उपस्थिति में तैयार रिपोर्ट दिनांक 04.01.2002 एवं संलग्न नक्शा अनुसार संपूर्ण आराजी एक चक होना, वादग्रस्त आराजी के उत्तर में देवा, दीपा, रत्ना वगैरह की आराजी व इसके उत्तर में ग्रेवल सड़क चलायमान होना वादग्रस्त आराजीयात पर वादिया का रहवासी घर निर्मित होना एवं वादिया स्वयं मय परिवार व ससुर के निवासरत होना, दक्षिण दिशा में गैर मुमकिन वाला व दक्षिण–पूर्वी सेड़े पर केसा रेबारी का खेत होना अंकित है तथा वादग्रस्त आराजी एक चक व चारों ओर बड़ी–बड़ी कांटों की बाड़, वादिया द्वारा काश्त व सिंचाई किया जाना, मौके पर जीरे की फसल की पिलाई किया हुआ होना तथा आराजीयात पर कब्जाकाश्त निर्बाध रूप से जसोदाकंवर होना अंकित है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त मौका रिपोर्ट का न तो अपीलाधीन निर्णय में विवेचन व न ही इस संबंध में कोई अभिमत पारित किया है। इसी प्रकार प्रकरण में न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

आदेश से ही नायब तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा तैयार मौका फर्द दिनांक 20.08.2014 से भी वादग्रस्त आराजीयात पर प्रतिवादीगण का काश्त, कब्जा नहीं होना एवं वादीगण द्वारा कब्जाकाश्त होने का अंकन है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में केवल प्रस्तुत जमाबंदियों की प्रविष्टियों के आधार पर उक्त विवाद्यक वादिया के विरूद्ध निर्णित किया गया। जोकि स्वयं प्रश्नगत थीं। प्रकरण में उभयपक्षकारान की साक्ष्य व गवाहान, भूप्रबंध पूर्व एवं पश्चात की खसरा गिरदावरी आदि तथा समय–समय पर मौका कमिश्नर व स्वतंत्र पक्ष द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट आदि का कोई विवेचन व निर्णयन नहीं कर कानूनन भूल की हैं तथा ऐसी स्थिति में उक्त विवाद्यक के संबंध में अपीलाधीन निर्णय व अभिमत पुष्टि योग्य नहीं हैं।

2. विवाद्यक संख्या 2 – आया वादिया स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पाने की अधिकारी हैं ? ....जिम्मे वादिया।

यह विवाद्यक वादिया के जिम्मे रखा गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक के संबंध में पृथक से कोई विवेचन व निर्णयन नहीं करते हुए केवल विवाद्यक संख्या 1 के निर्णयन अनुसार वादिया को स्थाई निषेधाज्ञा की अधिकारी नहीं मानते हुए इसे वादिया के विरूद्ध निर्णित किया गया। हमारे विनम्र मत में चूंकि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य, मौका रिपोर्ट्स एवं अन्य दस्तावेजात का संगत विधिक प्रावधानों के आधार पर विवेचन ही नहीं किया है तथा न ही पृथक से उक्त विवाद्यक को निर्णित किया गया है तथा विवाद्यक संख्या 1 में पारित अभिमत पुष्टि योग्य नहीं हैं। लिहाजा, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक के संबंध में पारित अभिमत भी पुष्टि योग्य नहीं होने से काबिल अपास्त है।

3. विवाद्यक संख्या 3 – आया वादिया का संपूर्ण भूमि पर कब्जा काश्त होने तथा राजस्व रेकर्ड में सहखातेदार होने से वादिया इसकी खातेदारी पाने की अधिकारी नहीं हैं ?. .... जिम्मे प्रतिवादीगण।

4. विवाद्यक संख्या 4 – आया प्रतिवादीगण का वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के अलग–अलग करवाने के हकदार होने से जरिये काउन्टर क्लैम के प्रतिवादीगण 1/3 हिस्सा का बंटवारा की डिक्री सादिर की जावें ?........... ....जिम्मे प्रतिवादीगण।

5. विवाद्यक संख्या 5 – आया वाद कारण के अभाव में खारिज योग्य है ?..........जिम्मे प्रतिवादीगण।

उक्त तीनों विवाद्यक प्रतिवादीगण के जिम्मे रखे गये थें। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तीनों विवाद्यकों को विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन के आधार पर निर्णित किया गया। प्रकरण में उक्त विवाद्यकों के संबंध में पृथक से न तो विवेचन किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

गया व न ही पृथक रूप से निर्णित किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि विवाद्यक संख्या 4 प्रतिवादीगण के जिम्मे था तथा प्रतिवादीगण द्वारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन का अनुतोष चाहा गया था। लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा इस संबंध में कोई विवेचन व निर्णयन पारित नहीं किया है। विवाद्यक संख्या 5 वादकारण से संबंधित थीं। जिसका विवाद्यक संख्या 1 व 2 से सारवान रूप से कोई संबंध नहीं हैं। लेकिन इसक बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा भी उक्त विवाद्यक भी विवाद्यक संख्या 1 व 2 के आधार पर प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की गई। जबकि उक्त विवाद्यक वादकारण उत्पन्न नहीं होने से संबंधित थीं। लेकिन वादपत्र के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि प्रकरण में वादिया द्वारा स्पष्ट रूप से वादकारण अंकित किया है एवं वादकारण बखूबी उत्पन्न हुआ है तथा इसके विरोध में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। अतः हमारे विनम्र मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तीनों विवाद्यकों क्रमशः 3, 4 व 5 का विधिनुरूप साक्ष्य व संगत विधिक प्रावधानों के आलोक में पृथक–पृथक विवेचन व निर्णयन नहीं किया गया तथा उक्त विवाद्यक वस्तुतः अनिर्णित श्रेणी में माने जाने योग्य है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यकों को बिना कोई कारण अंकित किए व विवेक का उपयोग किए बिना यांत्रिक रूप से निर्णित किया गया। जो विधिसम्मत नहीं होने से काबिल अपास्त है।

3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण में वादिया को वादिया व प्रतिवादीगण को साक्ष्य व प्रतिरक्षा का समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में महज सरसरी तौर पर वादपत्र का गुणावगुण के आधार पर निर्णयन किया जाना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारे विनम्र मत में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिसम्मत नहीं होने व पुष्टि योग्य नहीं होने व अपील अपीलांट बखूबी साबित होने से अपील अपीलांट स्वीकार कर प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रानीवाड़ा द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 69/2001 बअनवान जसोदाकंवर बनाम डूंगरसिंह वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.08.2023 को अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई एवं प्रतिरक्षा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वादपत्रों के सम्यक विचारण व निस्तारण के लिए व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 14 से 20 एवं राजस्थान राजस्व न्यायालय मैन्युअल 1956 में यथा प्रावधित संगत आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रकरण में प्रस्तुत समस्त साक्ष्य का संगत विधिक प्रावधानों के आलोक में विवाद्यकवार पृथक–पृथक विवेचन करते हुए कारण सहित अपने अभिमत/निर्णयन के साथ वादपत्र मय प्रतिवादपत्र को विधिनुरूप निर्णित करें। प्रतिवादीगण को पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात का ताफैसला वाद भू–अभिलेखीय प्रविष्टियों के आधार पर रहन, बेचान, अंतरण व अन्य किसी भी विधि से भारित नहीं करें एवं मौकास्थिति में कोई परिवर्तन आदि नहीं करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर रानीवाड़ा में दिनांक 28.05.2026 को पेश हों। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली